प्रतिवेदन

कार्य का नाम– **टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।**

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश सं0 59/111(2)/06–06 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 2.9.2006 द्वारा प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण में आ रही भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

(1)	आरक्षित वनभूमि	–	1.050 हैक्टेयर
(2)	सिविल बंजर भूमि	–	0.450 हैक्टेयर
(3)	नाप भूमि	–	0.245 हैक्टेयर
	कुल भूमि	–	**1.715 हैक्येटर**

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 2.450 किमी0 लम्बाई जिसमें आरक्षित वनभूमि में 7 मी0 चौडाई में ली गई है, एंव सिविल बंजर नाप भूमि 7 मी0 चौडाई में ली गई है जो प्रभावित होती है। वर्तमान में केवल 1.470 है0 आरक्षित वन एव सिविल बंजर भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरण किये जाने के लिए प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। अन्य वैकल्पिक संरेखण की सम्भावना नहीं है। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या संलग्न है।

कैथोली से नैखरी तक एक जीपेवल मार्ग पहले ही बना हुआ है जिसकी वर्तमान औसत चौडाई 3.50 मी0 से 4.0 मी0 तक निर्मित है। प्रस्तावित मार्ग का संरेखण भी लगभग पूर्व निर्मित मार्ग पर ही रखा गया था, केवल हियर पिन मोडो तथा अधिक ढाल वाले स्थानों पर संरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से हटाया गया था। जिस पर प्रभावित होने वाले बॉज वृक्षों की संख्या काफी अधिक आती है। यह प्रस्ताव पूर्व में वन संरक्षक भागीरथी वृत उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया गया था किन्तु प्रभावित होने वाले बॉज व काफल वृक्षों की संख्या अधिक होने पर प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी के पत्रांक 338/12–1(2) दिनांक 12.9.2013 द्वारा आपत्तियों में वापस प्राप्त हुऐ है तथा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी द्वारा संरेखण बदलने पर विचार करने हेतु प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी को लिखा गया है एंव वन क्षेत्राधिकारी टिहरी को उक्त मार्ग का स्वयं निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश उक्त पत्र द्वारा दिये गये है जिसके अनुपालन में दिनांक 19.12.2013 को पुनः सयुक्त निरीक्षण किया गया तथा हियर पिन बैण्ड जहॉ पर की पहले प्रभावित वृक्षों की सख्या सबसे अधिक थी आंशिक संशोधन करते हुऐ एंव जिन स्थानो पर ग्रेड सुधारने हेतु संरेखण पूर्व निर्मित मार्ग से हटाया गया था उसे पूर्व निर्मित मार्ग पर ही रखने पर विचार किया गया और पुनः वृक्षों की गणना की गई जिससे अब सशोधित संरेखण के अनुसार प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या काफी कम हो जाती है।

:::::2:::::

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रवासी यातायात से जुडकर लाभान्वित हो जायेगे और क्षेत्रवासियों को नैखरी स्थित महाविद्यालय में जाने हेतु कम दूरी साथ ही देवप्रयाग तथा जाखणीधार क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय में आने में अपेक्षाकृत कम दूरी तय करनी पडेगी, इसके अलावा चन्द्रबदनी प्रसिद्व मन्दिर तक आने–जाने के लिए भी यह कम दूरी का मार्ग बनेगा।

मानक के अनुरूप न्यूनतम वनभूमि उपयोग में लाई जायेगी जिससे कम से कम वृक्ष एंव फसलें प्रभावित होगी मोटर मार्ग का निर्माण 2.450 किमी0 लम्बाई जिसमें आरक्षित वनभूमि में 7 मी0 चौडाई में किया जाना है। जिसमें वृक्षों का कम से कम पातन होगा।

अतः राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग 2.450 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम 1.470 है0 आरक्षित वन एंव सिविल बंजर भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 7 प्रतियों में गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी